न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः— 115/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. उदयराम पिता भैरूलाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नैनाराम पिता हजारी कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. हजारी पिता कालु कुम्हार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लच्छु पिता कालु कुम्हार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रतन पिता कालु कुम्हार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सोहन पिता कालु कुम्हार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गोर्वधन पिता कालु कुम्हार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6 दीपा पिता कालु कुम्हार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मागीलाल पिता श्रीराम बलाई निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. नैना पिता हीरा बलाई निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9 रामेश्वर पिता हीरा बलाई निवासी सरेवड़ीकाबाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित
1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 28.02.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सरेवड़ीकाबाड़िया पटवार सरेवड़ी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1047 रकबा 1.49 हैक्ट. भूमि खाता संख्या 25 में दर्ज रिकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। उक्त वर्णित आराजियात के चारों तरफ सीमाओ के मुस्तकिल निशानात नहीं होने की वजह से आये दिन पक्षकारो के सीमा संबंधी विवाद बना रहता हैं और फसल व घास आदी काटने में काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। जिससे उक्त वर्णित भुमि की पत्थरगढ़ी कराना आवष्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे। प्रार्थीगण ने दिनांक 15.12.2018 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षी इंकार हो गये जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.18 को विपक्षीगणर द्वारा पत्थरगढ़ी करानें से इन्कार हो जाने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 28.12.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण

संख्या 2 से 9 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी स0 1 के विरूद्व पार्थीगण के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम सरेवड़ीकाबाड़िया पटवार सरेवड़ी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1047 रकबा 1.49 हैक्ट. भूमि खाता संख्या 25 में दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 800/– अक्षरे आठ सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा